भिलाई शहर में चल रहे कार्यो के बेहतर व्यवस्था हेतु समीक्षा बैठक आयोजित

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। जिसमें वृक्षारोपण, ई–आफिस प्रणाली, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की प्रगति, सिटी डेवलपमेंट प्लान, आगामी माह से रजत जयंती महोत्सव, मौसमी बिमारियों के नियंत्रण, जलकर वसुली, प्लास्टिक मुक्त अभियान, नशे के खिलाफ मुहिम, अतिक्रमण एवं कलेक्टर टी.एल. सहित जनदर्शन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। निगम आयुक्त द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सेमरिया स्थित निगम स्वामित्व के जमीन में सागौन, महोगनी जैसे कीमती पौधों का वृहद रोपण कराये जाने के संबंध में चर्चा की गयी। जिससे जमीन को सुरक्षित करते हुये हरियाली को बढ़ाने के साथ निगम के राजस्व में वृद्धि की जा सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निर्माण को विशेष प्राथमिकता देते हुए कार्य करना है। इसके लिए मकान मालिको एवं दुकान संचालकों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए प्रेरित करना है। चयनित एजेंसियों से प्रति दिवस की प्रगति चाही गई है। जोन 1, जोन 2 एवं भवन अनुज्ञा शाखा में किये गये निविदा अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में प्रगति लाने हेतु निर्देशित किये हैं । सिटी डेवलपमेंट प्लांन में शामिल कार्यो को वेब साईट में अपलोड कर जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिको से सूझाव एवं दावा अपत्ति मंगायी गयी है। रजत जयंती छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है जो आगामी माह से किया जाना है। मौसमी बिमारियों के रोकथाम हेतु घर–घर एवं गली मोहल्लो में विशेष साफ–सफाई, दवाई छिड़काव अभियान चलाया जाना है। निगम आयुक्त के अनुसार निगम भिलाई से जो हितग्राहीध्परिवार नल कनेक्शन लिए है, उनको जलकर जमा करना अनिवार्य है। जलकर की वसूली में कमी को देखते हुये एजेंसी नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गयी संबंधित कार्य हेतु जलकर विभाग से निविदा किया जाना है। जलकर जमा नहीं करने वालो पर कार्यवाही किया जाना है। शहर में 50 माईक्रोन से नीचे पालीथीन ब्रिकीध्इस्तेमाल करने वालो के खिलाफ कार्यवाही किया जाना है। प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने निरंतर अभियान चलाया जाना है। निगम क्षेत्र में 12548 लीज होल्डर्स है, जिसका जोनवार सूचीबद्व कर मानिटरिंग करना है। राजस्व की जमीन के साथ नजूल की जमीन को सुरक्षित करना है, जोनवार सूचीबद्व रहेगा, जिससे शासकीय कार्य में जमीन का सदुपयोग हो जाए। तालाबों का सीमांकन को प्रथामिकता से किया जाये, जिससे अवैध कब्जा या अतिक्रमण हटाया जा सके। निगम में संचालित वाहनो का किराया निर्धारण की प्रक्रिया को तत्काल किया जाना है, जिससे राजस्व की प्राप्ति हो। इलेवेटर, जे.सी.बी, जैसे वाहनों की प्रति घण्टा या प्रति दिवस लागत की गणना कर किराया निर्धारित किया जाएगा। जिससे वाहनों को निजी या एजेंसी को किराये में दिया जा सके। नशे के खिलाफ मुहिम अंतर्गत अंधेरे स्थलों को प्रकाशित करना है, जिससे असमाजिक तत्व एवं गलत लत में लिप्त लोगो को नियंत्रित किया जा सके साथ ही चिन्हांकित स्थलो का पुलिस टीम के साथ निरीक्षण किया जाना है। रोड, नाली के किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने एवं कंडम वाहन रख सड़क बाधिक करने वालो पर कार्यवाही करना है। शासन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। जिसके लिए 70 वर्ष से उपर के वरिष्ठ नागरिको को लाभ दिलाने आयुष्मान कार्ड बनाना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण अविलंब पूरा करना है, जिससे हितग्राहियो को समय पर आवास का लाभ दिया जा सके। कलेक्टर टी.एल, जनदर्शन, जन शिकायत, पी.एम.ओ शिकायत, निदान 1100 जैसे शिकायतों के निराकरण के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी। सभी विभाग प्रमुखो को समयसीमा पर प्राप्त शिकायत एवं मांग का निराकरण करने का निर्देशित किया गया है। निगम आयुक्त का मनसा जनहितैषी कार्यो को प्राथमिकता देना है। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य अभियंता भागीरथी वर्मा, अपर आयुक्त राजेंद्र दोहरे, अधीक्षण अभियंता दीपक जोशी, अजीत कुमार तिग्गा, उपायुक्त नरेंद्र बंजारे एवं जोन आयुक्त सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।